भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4862
दिनांक 01 अप्रैल, 2025 / 11 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस सुधार

†4862. सुश्री एस.जोतिमणिः
श्रीमती रुपकुमारी चौधरीः
श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पुलिस आधुनिकीकरण पहलों तथा पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना के अंतर्गत निधि के आवंटन और उपयोग का पश्चिम बंगाल और कोलकता सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार हेतु पुलिस सुधार करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों का पश्चिम बंगाल सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्यों को उनके पुलिस बलों के संगठन, आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण के लिए दिशानिर्देश और वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) पुलिस सुधारों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और स्वतंत्र पुलिस निगरानी तथा अधिकारियों हेतु निश्चित कार्यकाल निर्धारित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) आधुनिक हथियार, निगरानी प्रौद्योगिकी, स्मार्ट पुलिसिंग पहलों और कर्मियों के लिए बेहतर कार्य स्थितियों सहित पुलिस अवसंरचना में सुधार के लिए की गई पहलों की स्थिति क्या है;

(च) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से पुलिस आधुनिकीकरण में अतिरिक्त सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) महिलाओं के प्रति संवेदनशील अवसंरचना, मातृत्व लाभ, बाल देखभाल सहायता और कार्यस्थल पर उत्पीड़न की रोकथाम सहित उनकी कार्य-स्थितियों में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4862, दिनांक 01.04.2025

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क), (ग) (ङ) और (च): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके द्वारा अपने पुलिस बलों को सुसज्जित करने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों हेतु "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता (एएसयूएमपी)" योजना ['राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)' की पूर्ववर्ती स्कीम] के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

एएसयूएमपी योजना का उद्देश्य प्रासंगिक अवसंरचना के विकास के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस बलों को सुसज्जित करना है। इस योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों के निर्माण के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों को आवश्यक आधुनिक प्रौद्योगिकी, हथियारों, संचार उपकरणों आदि से लैस करके पुलिस अवसंरचना को सुदृढ़ करके अत्याधुनिक स्तर का बनाने पर बल दिया जाता है।

प्रत्येक वर्ष, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं और सामरिक प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य योजनाएं तैयार करते हैं तथा गृह मंत्रालय में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा इन कार्य योजनाओं पर विचार किया जाता है। तदनंतर, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निधियां जारी की जाती हैं।

पिछले 5 वर्षों के दौरान एएसयूएमपी योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बजटीय आवंटनों, जारी और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त निधियों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

आवंटन की तुलना में राज्यों को जारी की गई निधियों में अंतर है। जहां आवंटन की तुलना में जारी की गई निधियां कम हैं, वह उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत न करने के कारण है और जहां आवंटन की तुलना में जारी की गई निधियां अधिक हैं, वह बेहतर पुलिस प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने आदि के लिए जारी की गई निधियों के कारण है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4862, दिनांक 01.04.2025

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के पास दिनांक 01.04.2022 तक लगभग 69 करोड़ रुपये, दिनांक 03.04.2023 तक 39 करोड़ रुपये और दिनांक 05.04.2024 तक 11 करोड़ रुपये की उच्च अप्रयुक्त शेष राशि (केंद्रीय हिस्सा) थी। तदनुसार, व्यय विभाग द्वारा राज्य सरकारों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धन जारी करने के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य कई वर्षों तक लगातार धन जारी करने के लिए पात्र नहीं था।

वित्त वर्ष 2024-25 में, कुछ उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर दिनांक 26.09.2024 को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को केंद्रीय हिस्से के 6.505 करोड़ रुपये जारी किए गए। आज की तारीख तक राज्य के पास 12.504 करोड़ रुपये (इस वर्ष की रिलीज सहित) की अप्रयुक्त शेष राशि (केंद्रीय हिस्सा + राज्य हिस्सा) है। मंत्रालय द्वारा आगे की किश्तें जारी किए जाने हेतु आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण' की अम्ब्रेला योजना को एसएनए स्पर्श मॉडल में चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21.05.2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से पश्चिम बंगाल को नए एसएनए-स्पर्श (वास्तविक समय और एकीकृत त्वरित हस्तांतरण का एक नया निधि प्रवाह तंत्र) मॉडल के तहत कवर करने के लिए अधिसूचित किया है। गृह मंत्रालय ने समय-समय पर (पत्र दिनांक 11.07.2024, 29.10.2024, 09.01.2025 और ईमेल दिनांक 06.02.2025) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से एसएनए-स्पर्श मॉडल को लागू करने का अनुरोध किया है। हालाँकि, अभी भी यह अपेक्षित है।

(ख) और (छ): पुलिस सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पुलिस बलों को सक्षम और कुशल बनाने और इसकी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावकारी, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिए पुलिस सुधार संबंधी उपायों का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्राथमिक जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु पुलिस में अपेक्षित सुधार करने के लिए राज्यों को एडवाइजरी भी जारी करती है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4862, दिनांक 01.04.2025

पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए, केंद्र सरकार ने विभिन्न आयोग/समितियां अर्थात् राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977), रिबेरो समिति (1998), पदमनाभैया समिति (2000), आपराधिक न्याय (क्रिमिनल जस्टिस) पर मलिमथ समिति (2002) गठित की हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पुलिस सुधारों पर पूर्ववर्ती आयोगों और समितियों की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए दिसम्बर, 2004 में श्री आर.एस. मूशाहरी की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित की थी। इस समिति ने मार्च, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति ने 49 सिफारिशों को सूचीबद्ध किया। समीक्षा समिति की सिफारिशों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है। समीक्षा समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश पुलिस अधिनियम, 1861 के स्थान पर एक नया पुलिस अधिनियम अधिनियमित करने के संबंध में थी और केंद्र सरकार ने डॉ. सोली सोराबजी की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति गठित की, जिसने एक मॉडल पुलिस अधिनियम का प्रारूप तैयार किया, जिसमें 'प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य' शीर्षक वाली वर्ष 1996 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 310 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 22.09.2006 के फैसले के तहत उनके निर्णय भी शामिल थे। इस मॉडल पुलिस अधिनियम को विचारण और उपयुक्त कार्रवाई के लिए दिनांक 31.10.2006 के अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित किया गया था।

गृह मंत्रालय ने महिला पुलिस के प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर कुल नफरी का 33% करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 22.04.2013, 21.05.2014, 12.05.2015, 21.06.2019, 22.06.2021, 13.04.2022, 27.04.2023 और 05.12.2023 को एडवाइजरी भी जारी की हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे कांस्टेबलों/उप-निरीक्षकों के रिक्त पदों को परिवर्तित करके महिला कांस्टेबलों/उप-निरीक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित करें, जिसका उद्देश्य चौबीसों घंटे काम करने के लिए एक महिला हेल्प-डेस्क की व्यवस्था करना है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4862, दिनांक 01.04.2025

(घ): भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1996 की रिट याचिका (सिविल) सं. 310 शीर्षक 'प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य' में अपने दिनांक 22.09.2006 के निर्णय में सात दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें से पहले छह दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित थे, जबकि सातवां दिशानिर्देश केवल केंद्र सरकार से संबंधित था। सातवें दिशानिर्देश के अनुपालन में, केंद्र सरकार ने दिनांक 02.01.2007 के कार्यालय ज्ञापन के तहत 'राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्रीय पुलिस कार्मिक' पर एक समिति गठित की।

*****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या. 4862, दिनांक 01.04.2025

अनुलग्नक

तालिका संख्या: । पिछले 5 वर्षों के दौरान 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता' योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित, जारी और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्योरा :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2020-21			2021-22			2022-23		
		आवंटन	जारी निधियां	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र	आवंटन	जारी निधियां	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र	आवंटन	जारी निधियां	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र
1	आंध्र प्रदेश	24.46	5.83	5.83	24.46	0	0	17.73	0.443	0.44
2	अरुणाचल प्रदेश	3.92	0	0	3.92	0	0	3.26	0.3345	0
3	असम	26.40	0	0	26.40	9.36	8.54	11.64	3.8565	2.02
4	बिहार	27.62	19.12	9.49	27.62	0	0	27.14	0.443	0.33
5	छत्तीसगढ़	9.72	7.16	7.16	9.72	5.44	5.43	11.01	0.443	0.07
6	गोवा	1.03	0.22	0.22	1.03	0.26	0.26	2.79	1.0245	0.94
7	गुजरात	25.58	0	0	25.58	0	0	26.67	0.544	0.27
8	हरियाणा	11.48	0	0	11.48	10.35	10.35	11.96	0.544	0
9	हिमाचल प्रदेश	3.50	0.83	0.83	3.50	0	0	4.34	0.3345	0.33
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	***	***	***
11	झारखंड	9.21	0	0	9.21	0	0	11.87	1.883	0
12	कर्नाटक	38.37	9.14	9.14	38.37	32.54	32.54	19.19	4.7975	4.80
13	केरल	16.11	0	0	16.11	4.48	4.48	18.59	0.443	0.44
14	मध्य प्रदेश	27.11	0	0	27.11	6.78	6.78	25.15	0.443	0.44
15	महाराष्ट्र	47.11	0	0	47.11	0	0	36.24	0.544	0
16	मणिपुर	9.55	0	0	9.55	0	0	4.10	0.9845	0
17	मेघालय	3.75	0	0	3.75	0	0	3.29	2.1145	0
18	मिजोरम	4.77	1.14	1.14	4.77	0	0	2.74	3.2531	2.94
19	नागालैंड	10.74	0	0	10.74	17.03	17.03	3.57	0.3345	0.33
20	ओडिशा	15.60	0	0	15.6	3.90	3.90	13.91	0.443	0.44
21	पंजाब	16.42	4.15	4.15	16.42	0	0	11.18	0.443	0.44
22	राजस्थान	31.26	13.53	11.98	31.26	13.53	12.87	21.18	0.544	0.54
23	सिक्किम	1.77	0	0	1.77	1.37	1.37	2.43	0.3345	0.32
24	तमिलनाडु	34.84	0	0	34.84	0	0	44.04	0.544	0
25	तेलंगाना	17.48	4.16	4.16	17.48	8.74	8.74	14.32	4.124	3.58
26	त्रिपुरा	7.84	5.72	5.58	7.84	6.75	5.67	3.91	0.3345	0.10
27	उत्तर प्रदेश	63.19	32.02	23.61	63.19	32.02	25.54	56.61	0.544	0
28	उत्तराखंड	3.37	0	0	3.37	5.84	5.65	5.43	0.443	0.35
29	पश्चिम बंगाल	28.90	0	0	28.90	0	0	23.49	0.544	0
	कुल	**521.1**	**103.02**	**83.29**	**521.1**	**158.39**	**149.15**	**437.78**	**31.0621**	**19.12**

जारी....

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या. 4862, दिनांक 01.04.2025

अनुलग्नक

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2023-24			2024-25 (दिनांक 27.03.2025 तक)		
		आवंटन	जारी निधियां	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र	आवंटन	जारी निधियां****	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र
1	आंध्र प्रदेश	9.47	0	0	19.58	4.895	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2.61	0	0	3.43	0	0
3	असम	6.58	0	0	12.78	6.39	0
4	बिहार	13.94	0	0	30.09	0	0
5	छत्तीसगढ़	6.28	0	0	12.07	22.07	0
6	गोवा	2.38	0	0	2.89	0.7225	0
7	गुजरात	13.73	6.865	6.865	29.60	7.40	7.40
8	हरियाणा	6.73	0	0	13.14	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	3.10	0.775	0.61	4.59	3.4425	2.11
10	जम्मू और कश्मीर	***	***	***	***	***	***
11	झारखंड	6.70	0	0	13.05	0	0
12	कर्नाटक	10.18	7.635	7.64	21.24	10.62	10.62
13	केरल	9.89	0	0	20.56	0	0
14	मध्य प्रदेश	13.01	3.2525	2.80	27.90	6.975	0
15	महाराष्ट्र	18.28	0	0	40.29	0	0
16	मणिपुर	2.99	0	0	4.33	0	0
17	मेघालय	2.61	2.943	0	3.43	0	0
18	मिजोरम	2.36	0	0	2.85	0	0
19	नागालैंड	2.74	3.307	1.37	3.74	0.935	0
20	ओडिशा	7.67	10.476	9.43	15.33	7.665	0
21	पंजाब	6.35	0	0	12.24	0	0
22	राजस्थान	11.11	0	0	23.43	11.715	0
23	सिक्किम	2.21	2.21	2.21	2.49	1.8675	0.9978
24	तमिलनाडु	21.99	0	0	49.02	0	0
25	तेलंगाना	7.86	5.895	5.90	15.78	3.945	3.945
26	त्रिपुरा	2.91	0	0	4.15	0	0
27	उत्तर प्रदेश	27.97	0	0	63.06	0	0
28	उत्तराखंड	3.64	1.82	1.79	5.85	1.4625	0
29	पश्चिम बंगाल	12.21	0	0	26.02	6.505	0
	कुल	**237.5**	**45.1785**	**38.615**	**482.93**	**96.61**	**25.0728**

*** वित्तीय वर्ष 2022-23 और इसके बाद, संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्योरा तालिका संख्या: II में दिया गया है।
**** जारी निधियों में मदर सैंक्शन भी शामिल है।

नोट

I. आवंटन की तुलना में राज्यों को जारी की गई निधियों में अंतर है। जहां आवंटन की तुलना में जारी की गई निधियां कम हैं, वह उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत न करने के कारण है और जहां आवंटन की तुलना में जारी की गई निधियां अधिक हैं, वह बेहतर पुलिस प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने आदि के लिए जारी की गई निधियों के कारण है।

जारी....

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या. 4862, दिनांक 01.04.2025

अनुलग्नक

तालिका संख्या: II वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता' योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित, जारी और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्योरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	संघ राज्य क्षेत्र	2022-23			2023-24			2024-25 (दिनांक 27.03.2025 तक)		
		आवंटन	जारी निधियां	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र	आवंटन	जारी निधियां	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र	आवंटन	जारी निधियां	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.86	0.43	0.11	0.68	0.6345	0	0.64	0	0
2.	चंडीगढ़	1	0.50	0	0.73	3.5775	0	0.69	0	0
3.	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0.66	0.33	0	0.58	0.6245	0	0.56	0	0
4.	दिल्ली	10.69	2.6725	0	5.52	0.544	0	4.48	2.24	0
5.	जम्मू और कश्मीर	6.65	0	0	3.53	0.3345	0	2.90	0	0
6.	लद्दाख	0.66	0.33	0.165	0.58	0.6245	0.231	0.56	0.56	0
7.	लक्षद्वीप	0.58	0.29	0	0.54	0.6045	0	0.53	0	0
8.	पुदुचेरी	1.12	0.8945	0.5241	0.82	0	0	0.75	0	0
	कुल	**22.22**	**5.447**	**0.7991**	**12.98**	**6.944**	**0.231**	**11.11**	**2.8**	**0**

नोट: संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष 2021-22 से एएसयूएमपी योजना में शामिल किया गया है। हालांकि, संघ राज्य क्षेत्रों को वास्तविक धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही जारी की जा सकी, क्योंकि मंत्रिमंडल ने दिनांक 19.01.2022 के अपने निर्णय के माध्यम से एएसयूएमपी योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की थी और एएसयूएमपी योजना के दिशा-निर्देश दिनांक 08.08.2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए थे।

*****